संख्या-78/2016/1915/62-2-2016-2/2(47)08टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, ,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 04 जुलाई,2016

विषय- बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराये जा रहे प्रथम चरण में निर्मित नये कूपों में लिफिटंग डिवाइस तथा चेकडैम एवं नलकूपों में एच0डी0पी0ई0 पाइप वितरण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के अ0शा0 पत्र संख्या-10बी0पी0/35-1-2016 दिनांक 19.01.2016 के साथ नीति आयोग, भारत सरकार के पत्र संख्या- 06.02.2015-FR दिनांक रहित की प्रति संलग्न करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्त संदर्भित योजनाओं हेतु धनराशि शीघ्र ही अवमुक्त की जा रही है अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी तैयारी तत्काल करा ली जायें।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गई है:-

(रू0 करोड में)

S. No.	Item	Name of the Project	Cost	
			Total	One time Grant recommended in 2015-16
1	Minor Irrigation	Lifting device on blast/dugwells constructed in Phase-1	28.34	28.34
2		Distribution of HDPE pipe	36.16	36.16

उपरोक्त क्रम में भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्रस्ताव के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये जा रहे है:-

1- बुन्देलखण्ड पैकेज के प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्मित नये डग/ब्लास्ट कूपों हेतु लिफिटंग डिवाइस (डीजल पम्पसेट) एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण

क- लाभार्थी

(1) इस योजना के अनतर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज के प्रथम फेज में निर्मित किये गये डग/ब्लास्ट वेल के लाभार्थी ही पात्र होगें। यदि लाभार्थी के पास पूर्व में लिफिटंग डिवाइस (डीजल पम्पसेट) है अथवा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत उसे यह प्राप्त हुआ है तो वह इस योजना के अन्तर्गत पात्र नही होगा।

(2) इसी प्रकार एच0डी0पी0ई0 पाइप हेतु भी बुन्देलखण्ड पैकेज के प्रथम चरण में निर्मित नये डग/ब्लास्ट वेल के लाभार्थी ही पात्र होगें। यदि लाभार्थी के पास पूर्व से एच0डी0पी0ई0 पाइप है अथवा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत उसे यह प्राप्त हुआ है तो वह इस योजना के अन्तर्गत पात्र नही होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी तथा इसमें जनपद स्तरीय ऐसे विभागों के अधिकारी जो डीजल पम्पसेट एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण कराते है, सदस्य होगें। समिति के संयोजक सदस्य अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई होगे तथा उनके द्वारा लाभार्थियों की सूची तैयार कर समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी और उसके उपरान्त लिफिटंग डिवाइस (डीजल पम्पसेट) एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों से इस आशय का रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी लिया जायेगा कि उसके द्वारा अन्य किसी योजना में पूर्व में डीजल पम्पसेट एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप का लाभ नहीं लिया गया है।

ख- <u>अनुदान</u>

(1) उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 8BHP आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट खरीदने हेतु अधिकतम रू0-0.35 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा। यदि लागत इससे अधिक आती है तो अतिरिक्त् व्यय लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज के प्रथम फेज में निर्मित नये डग/ब्लास्ट वेल के चयनित लाभार्थियों को 90 एम0एम0 व्यास के 150 मी0 लम्बे (आई0एस0 कोड- 14151/99 भाग-1 एवं भाग-2) एच0डी0पी0ई0 पाइप सिस्टम जिसमें एक बैण्ड, एक टी, एक पम्प कनेक्टिंग निपिल एवं एक एण्ड प्लग भी फिटिंग्स के रूप में होगा, की औसत लागत रू0 0.19 लाख मानते हुए अनुदान दिया जायेगा।

ग- <u>क्रय एवं भुगतान की प्रक्रिया</u>

(1) 8 HP आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट पात्र लाभार्थियों द्वारा अपनी इच्छानुसार खुले बाजार से मोल-भाव करके क्रय किया जायेगा। डीजल पम्पसेट के क्रय के उपरान्त यदि अनुदान की धनराशि में कोई बचत होती है तो अनुदान की सीमा में सेक्शन पाइप, फुटवाल इत्यिादि का क्रय किया जा सकता है। पम्पसेट क्रय करने के बाद लाभार्थी द्वारा बिल-बाउचर अवर अभियन्ता को दिये जायेगें। अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा इनके सत्यापन के उपरान्त अनुदान लाभार्थी के पक्ष में अथवा लाभार्थी द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के आधार पर डीलर के पक्ष में किया जायेगा। पम्पसेट को लाभार्थी कृषक द्वारा कभी बेचा नहीं जायेगा अपितु स्वयं कृषि कार्य में इसका उपयोग किया जायेगा। इस अवधि में लाभार्थी कृषक द्वारा यदि इसे बेच दिया जाता है तो लाभार्थी से अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी। लाभार्थी कृषक से पम्पसेट क्रय होने से पूर्व रू0 10/- के स्टैम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरा लिया जायेगा जिसमें पम्पसेट को निरन्तर उपयोग में लाने तथा इसे कभी भी न बेचने की घोषणा कृषक द्वारा की जायेगी जिसका रूप पत्र संलग्नक क के रूप में संलग्न है। डीजल पम्पसेट पर अनुदान उपभोग हो जाने के बाद अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त सूचना अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेगें।

(2) <u>90 एम0एम0 एच0डी0पी0ई0 पाइप-</u>

वर्तमान में विभाग में पाइप क्रय हेतु प्रचलित केन्द्रीय क्रय व्यवस्था के अनुसार पाइप एवं फिटिंग्स का क्रय विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके लिए अधिशासी अभियन्ता आपूर्ति खण्ड लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जनपदों से मॉग प्राप्त कर क्रय की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा मुख्यालय स्तर से प्रेषित किये गये आपूर्ति आदेश के अनुसार सम्बन्धित फर्मो द्वारा जनपदों में आपूर्ति की जायेगी और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त आवंटित बजट से भुगतान किया जायेगा। इसके उपरान्त सहायक अभियन्ता एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता सम्बन्धित लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में 90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एम0एम0एच0डी0पी0ई0 पाइप की लागत अनुमन्य अनुदान से अधिक आती है तो अतिरिक्त धनराशि कृषक से सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त एच0डी0पी0ई0 पाइप को लाभार्थी कृषक द्वारा कभी बेचा नही जायेगा, अपितु स्वयं कृषि कार्य में इसका उपयोग किया जायेगा। इस अवधि में लाभार्थी कृषक द्वारा यदि इसको बेच दिया जाता है तो लाभार्थी से अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी। लाभार्थी कृषक से एच0डी0पी0ई0 पाइप वितरण के समय रू0 10/- के स्टैम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरा लिया जायेगा जिसमें एच0डी0पी0ई0 पाइप को निरन्तर उपयोग में लाने तथा इसे कभी भी न बेचने की घोषणा कृषक द्वारा की जायेगी, जिसका रूपपत्र संलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

घ- <u>लक्ष्य</u>

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जनपदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार होगें-

क्र0 सं0	जनपद	लिफिटंग डिवाइस		एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम		कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक लक्ष्य	प्रति यूनिट लागत रू0 0.35 लाख	भौतिक लक्ष्य	प्रति यूनिट लागत रू0 0.19 लाख	
1	2	3	4	5	6	7
1-	झाँसी	2617	915.95	2617	497.23	1413.18
2-	ललितपुर	2617	915.95	2617	497.23	1413.18
3-	महोबा	1094	382.90	1094	207.86	590.76
4-	चित्रकूट	1770	619.50	1770	336.30	955.80
	योग-	8098	2834.30	8098	1538.62	4372.92

2- <u>पूर्व निर्मित चेकडैम के लाभार्थियों को एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण</u>

क- <u>लाभार्थी</u>

उक्त् योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित चेकडैम से सिंचाई करने वाले लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक पात्र होगें। वरीयता उन गरीबी रेखा के नीचे वाले (बी0पी0एल0) लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को दी जायेगी, जिनके नाम ग्राम के आर्थिक रजिस्टर में अंकित हो। लघु एवं सीमान्त कृषकों के मामले में पात्रता का आधार 61(ख) होगा और यदि एक ही पिता के कई पुत्र है और उन सभी के नाम 61(ख) में दर्ज है, तो कुल भूमि को बराबर बराबर भागों में बॉट कर कृषक की पात्रता निर्धारित की जायेगी।

सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा प्रत्येक जनपद में पूर्व में निर्मित चेकडैम का विवरण तैयार किया जायेगा, जिसमें चेकडैम की लोकेशन/निर्माण का वर्ष/कृषक की श्रेणी/योजना जिसके अन्तर्गत चेकडैम निर्मित हुआ है, इत्यादि का विवरण होगा। कृषकों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाकर किया जायेगा तथा प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धान्त पर उन्हे लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए चयनित कृषक अपना प्रार्थना पर संलग्न प्रारूप पर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध करायेगें। सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों को तिथिवार एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा और उसी के अनुसार प्रथम आवत प्रथम पावत का सिद्धान्त अपनाते हुए लक्ष्यों की सीमा तक कार्य कराये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम/विकासखण्ड/जनपद स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी तथा कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें जनपद स्तरीय ऐसे विभागों के अधिकारी, जो एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण कराते है, सदस्य होगें। समिति के संयोजक सदस्य अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई होंगें तथा उनके द्वारा लाथार्थियों की सूची तैयार कर समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी और उसी के उपरान्त एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत उन्ही कृषकों का चयन किया जायेगा जिन्हे अन्य किसी योजना के अन्तर्गत उन्ही कृषकों का चयन किया जायेगा जिन्हे अन्य किसी योजना से पूर्व में एच0डी0पी0ई0 पाइप का लाभ नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त एच0डी0पी0ई0 पाइप का लाभ नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त एच0डी0पी0ई0 पाइप को लाभार्थी कृषक द्वारा कभी बेचा नहीं जायेगा, अपितु स्वयं कृषि कार्य में इसका उपयोग किया जायेगा। इस अवधि में लाभार्थी कृषक यदि इसको बेच दिया जाता है तो लाभार्थी से अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी। लाभार्थी कृषक से एच0डी0पी0ई0 पाइप वितरण के समय रू0-10/- के स्टैम्प पेपर एक अनुबन्ध पत्र भरा लिया जायेगा, जिसमें एच0डी0पी0ई0 पाइप को निरन्तर उपयोग में लाने तथा इसे कभी भी न बेचने की घोषणा कृषक द्वारा की जायेगी, जिसका रूपपत्र संलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

ख- <u>अनुदान</u>

उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को 90 एम0एम0 व्यास के 150 मी0 लम्बे (आई0एस0 कोड- 14151/99 भाग-1 एवं भाग-2) एच0डी0पी0ई0 पाइप सिस्टम जिसमें एक बैण्ड, एक टी0, एक पम्प, कनेक्टिंग निपिल एवं एक एण्ड प्लग भी फिटिंग्स के रूप में होगें, की औसत लागत रू0 0.19 लाख मानते हुए अनुदान किया जायेगा।

ग- लक्ष्य

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदवार/वर्षवार लक्ष्य निम्नवत है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		योग	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	झॉसी	1000	190.00	1000	190.00	2000	380.00
2-	ललितपुर	1000	190.00	1000	190.00	2000	380.00
3-	जालौन	250	47.50	250	47.50	500	95.00
4-	हमीरपुर	750	142.50	750	142.50	1500	285.00
5-	बांदा	750	142.50	750	142.50	1500	285.00
6-	महोबा	600	114.00	600	114.00	1200	228.00
7-	चित्रकूट	600	114.00	600	114.00	1200	228.00
	योग	4950	940.50	4950	940.50	9900	1881.00

3- <u>पूर्व निर्मित उथले एवं गहरे नलकूप में एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण</u>

क- <u>लाभार्थी चयन</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा पर्वू में निर्मित उथलें एवं गहरे नलकूप से सिंचाई करने वाले लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक पात्र होंगे। वरीयता उन गरीबी रेखा के नीचे वाले (बी.पी.एल.) लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को दी जायेगी, जिनके नाम ग्राम के आर्थिक रजिस्टर में अंकित हों। लघु एवं सीमान्त कृषकों के मामले में पात्रता का आधार 61(ख) होगा और यदि एक ही पिता के कई पुत्र है और उन सभी के नाम 61(ख) में दर्ज है तो कुल भूमि को बराबर बराबर भागों में बॉट कर कृषक की पात्रता निर्धारित की जायेगी।

सहायक अभियंता लघु सिंचाई द्वारा प्रत्येक जनपद में पर्वू में निर्मित उथले/गहरे नलकूप का विवरण तैयार किया जायेगा, जिसमें नलकूप की लोकेशन/निर्माण का वर्ष/कृषक की श्रेणी/योजना, जिसके अन्तर्गत नलकूप निर्मित हुआ है इत्यादि का विवरण होगा। कृषकों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाकर किया जायेगा तथा प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धान्त पर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए चयनित कृषक अपना प्रार्थना पत्र संलग्न प्रारूप पर सहायक अभियंता, लघु सिंचाई को उपलब्ध करायेगे। सहायक अभियंता, लघु सिंचाई द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों को तिथिवार एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा और उसी के अनुसार प्रथम आगत प्रथम पावत का सिद्धान्त अपनाते हुए लक्ष्यों की सीमा तक कार्य कराये जायेंगे। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम/विकास खण्ड/जनपद स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी तथा कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनश्चित की जायेगी।

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें जनपद स्तरीय ऐसे विभागों के अधिकारी, जो एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण कराते है, सदस्य होंगे। समिति के संयोजक सदस्य अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई होगे तथा उनके द्वारा लाभार्थियों की सूची तैयार कर समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी और उसी के उपरांत एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत उन्हीं कृषकों का चयन किया जायेगा, जिन्हें अन्य किसी योजना से पूर्व में एच0डी0पी0ई0 पाइप का लाभ नही लिया है। इसके अतिरिक्त एच0डी0पी0र्द0 पाइप को लाभार्थी कृषक द्वारा कभी बेचा नही जायेगा, अपितु स्वयं कृषि कार्य में इसका उपयोग किया जायेगा। इस अवधि में लाभार्थी कृषक द्वारा यदि इसको बेच दिया जाता है तो लाभार्थी से अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी। लाभार्थी कृषक से एच0डी0पी0ई0 पाइप वितरण के समय रू0-10/- के स्टैम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरा लिया जायेगा, जिसमें एच0डी0पी0ई0 पाइप को निरन्तर उपयोग में लाने तथा इसे कभी भी न बेचने की घोषणा कृषक द्वारा की जायेगी, जिसका रूपपत्र संलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

ख- <u>अनुदान</u>

उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को 110 एम0एम0 व्यास के 180 मी0 लम्बे (आई0एस0 कोड-14151/99 भाग-1 एवं भाग-2) एच0डी0पी0ई0 पाइप सिस्टम जिसमें एक बैण्ड, एक टी, एक पम्प कनेक्टिंग निपिल एवं एक एण्ड प्लग भी होगा, की औसत लागत रू0-0.303 लाख है उक्त तीनों जनपदों के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को शतप्रतिशत अनुदान दिया जायेगा तथा अन्य कृषकों हेतु लागत का 75 प्रतिशत अर्थात रू0-0.227 लाख का अधिकतम अनुदान दिया जायेगा।

ग्- <u>लक्ष्य</u>

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदवार/वर्षवार लक्ष्य निम्नवत है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लघु एवं सीमान्त् कृषकों की संख्या	प्रति यूनिट लागत रू0-0.303 लाख	बडे कृषकों की संख्या	प्रति यूनिट लागत रू0-0.227 लाख	योग	
						कूल भौतिक	लागत (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	जालौन	190	57.570	35	7.945	225	65.515
2-	हमीरपुर	190	57.570	35	7.945	225	65.515
3-	बांदा	190	57.570	35	7.945	225	65.515
	योग	570	172.710	105	23.835	675	196.545

4- **अन्य निर्देश**

उपरोक्त सभी योजनाओं के संबंध में अन्य निर्देश निम्नवत है:-

(i) एच0डी0पी0ई0 पाइप के वितरण तथा डीजल पम्प सेट की स्थापना एवं सत्यापन की प्रक्रिया:-

(क) लाभार्थी के खेत पर पम्पसेट की स्थापना/एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण विभाग के अवर अभियंता(ल0सिं0)/सहायक अभियंता(ल0सिं0) तथा ग्राम सभा के प्रतिनिधि की संयुक्त देख्,-रेख में किया जायेगा।

(ख) लाभार्थी से स्थापना के बाद अनुबन्ध पत्र लिया जायेगा, जिसमें पम्पसेट/एच0डी0पी0ई0 पाइप के संतोषजनक ढंग से कार्य करने की पुष्टि तथा उसके निरन्तर उपयोग का अनुबन्ध होगा।

(ग) स्थापना के बाद एच0डी0पी0ई0/पम्पसेट का शत-प्रतिशत सत्यापन संबंधित अवर अभियंता तथा सहायक अभियंता द्वारा किया जायेगा। यह संयुक्त अथवा स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

(घ) अधिशासी अभियंता द्वारा 15 प्रतिशत स्थापित सेट का पुनर्सत्यापन किया जायेगा, परन्तु उक्त अधिकारी एक ही सेट को पुनर्सत्यापन नही करेंगे, बल्कि अलग-अलग सेटों का सत्यापन करेंगे।

(ड) अधीक्षण अभियंता द्वारा 05 प्रतिशत स्थापित पम्पसेटों/वितरित एच0डी0पी0ई0 पाइप का पुनर्सत्यापन किया जायेगा।

(च) सत्यापन की प्रगति सूचना जनपद स्तर एवं खण्ड स्तर पर एक रजिस्टर में रखी जायेगी। प्रत्येक माह की सूचना अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता को प्रेषित की जायेगी।

(ii) एच0डी0पी0ई0 पाइप तथा डी0पी0 सेट की मार्किग की प्रक्रिया

(क) एच0डी0पी0ई0 पाइप (मय कपुलर) एवं फिटिंग्स (एसेसरीज) पर आई0एस0 कोड-14151 (पार्ट-2)/2008, (यथासंशोधित) में दिये प्राविधानों के अनुसार मार्किग होना आवश्यक है।

(ख) लाभार्थी द्वारा अनुदान से लिये गये पम्पसेट पर आई0एस0आई0 कोड-10804/1994 यथासंशोधित के अनुसार मार्किग होना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त पम्पसेट की बाडी पर लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 " बुन्देलखण्ड पैकेज " अमिट रूप से लिखा जाना होगा।

कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीया,
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-78/2016/1915(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अ0शा0प0सं0-10बीपी/35-1-2016, दिनांक 19.01.2016 के क्रम में सूचनार्थ।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।

4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, नियोजन उ0 प्र0 शासन।

5- आयुक्त, झाँसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।

6- जिलाधिकारी, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, महोबा एवं चित्रकूट।

7- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, झाँसी।

8- अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, महोबा एवं चित्रकूट।

9- मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, महोबा एवं चित्रकूट।

10- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

11- मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, महोबा एवं चित्रकूट।

12- विषय विशेषज्ञ, निदेशक(प्रशिक्षण), लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 78/2016/1915/62-2-2016-2/2(47)08टी0सी0, दिनांक 04.7.2016 का संलग्नक।

अनुबन्ध पत्र

(रू0-10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड)

बुन्देलखण्ड पैकेज योजनान्तर्गत द्वितीय फेज में लघु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित चेकडैम नये डग/बलास्ट कूप तथा पूर्व निर्मित उथ्ले/गहरे नलकूप पर कृषक को डीजल पम्पसेट/एच0डी0पी0ई0 पाइप इरीगेशन सिस्टम प्राप्त करने हेतु घोषणा पत्र।

मैं----------पुत्र/पुत्री/पति श्री ---------- निवासी---------- तहसील----------जनपद---------- एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि (बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित नये डग/बलास्ट कूप/चेकडैम/नलकूप----------) योजनान्तर्गत खसरा सं0----------में --------- HP Diesel Pumpset/.....mm. HDPE Pipe Irrigation System स्थापित करना चाहता/चाहती हूँ।

1. मै किसी अन्य योजना से अनुदानित उक्त सामग्री का लाभ नही लिया गया है। यह लाभ बुन्देलखण्ड पैकेज योजना में निर्मित नये डग/ब्लास्ट कूप/चेकडैम/नलकूप पर प्रथम बार लिया जा रहा है।

2. मैं Diesel Pumpset/ HDPE Pipe Irrigation System का निरन्तर प्रयोग किया जायेगा और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी मेरी (कृषक) होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. मेरे द्वारा इसे किसी अन्य को विक्रय/हस्तानान्तरित नही किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो कृषक से अनुदान की धनराशि वसूल कर ली जाय।

4. उक्त सूचनायें गलत पायी जाती है तो अनुदान की धनराशि राजस्व वसूली की भांति वसूल कर जी जाय।

5. **Diesel Pumpset/ HDPE Pipe Irrigation System** पर शासकीय अनुमन्य अनुदान सीमा से अधिक लागत आने पर अब अतिरिक्त व्यय मेरे (कृषक) द्वारा वहन किया जायेगा।

कृषक के हस्ताक्षर---------
(नाम सहित)

शासनादेश संख्या-78/2016/1915/62-2-2016-2/2(47)08टी0सी0, दिनांक 04.7.2016 का संलग्नक।

बुन्देलखण्ड पैकेज योजनान्तर्गत द्वितीय फेज में लघु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित चेकडैम/नलकूपों अथवा बुन्देलखण्ड पैकेज के प्रथम फेज में निर्मित नये डग/ब्लास्ट कूपों पर कृषकों को Diesel Pumpset/ HDPE Pipe Irrigation System प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

सत्यापित फोटो पासपोर्ट साईज

सेवा में,

सहायक अभियंता,
लघु सिंचाई----------

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को बुन्देलखण्ड पैकेज योजनान्तर्गत द्वितीय फेज के अन्तर्गत निर्मित चेकडैम/नलकूपों अथवा बुन्देखलण्ड पैकेज के प्रथम फेज में निर्मित नये डग/ब्लास्ट कूपों से फसलों की सिंचाई करने हेतु **HP Diesel Pumpset/.....mm. HDPE Pipe Irrigation System** की विशेष आवश्यकता है। नियमानुसार अनुदान पर दिलाने की कृपा करें। मेरा वैयक्तिक एवं जोत संबंधी विवरण निम्नवत है:-

1. कृषक का नाम ----------
2. पिता/पति का नाम ----------
3. जाति/श्रेणी ----------
   (लघु/सीमान्त/अनु0जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक जाति/सामान्य)
4. ग्राम व पोस्ट ----------
5. विकास खण्ड ----------
6. कुल जोत(हैक्टेयर में) ----------खसरा/चक संख्या----------
7. सिंचित ----------

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. असिंचित ----------

9. सामान्य/अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति ----------

10. लघु एंव सीमान्त कृषक ----------

11. महिला कृषक -------भूमि स्वामित्व का क्षेत्र हे0--------खसरा सं0------

12. भागीदारी भूमि का हिस्सा क्षेत्र हे0 ----------खसरा सं0--------

13. चेकडैम का नाम ----------

14. पम्पिंग सेट ----------हार्सपावर----------इंजन संख्या--------

15. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दिये गये तथ्य सही है। कृपया विभागीय निर्देशों के अनुसार मुझे डीजल पम्पसेट/एच0डी0पी0ई0 पाइप सिस्टम दिलाने की कृपा करें।

संलग्नक:-

1- भू-स्वामित्व का प्रमाण पत्र।

2- निर्मित चेकडैम के कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले भूमि संबंधी अभिलेख (61ख के अनुसार)

अथवा

3- बुन्देखलण्ड पैकेज के प्रथम फेज में निर्मित डग/ब्लास्ट कूप संबंधी हस्तान्तरण प्रमाण पत्र।

अथवा

4- विभाग द्वारा स्थापित नलकूप का हस्तान्तरण प्रमाण पत्र।

5- कृषक का अनुबन्ध पत्र।

6- कृषक का पहचान पत्र/आधार कार्ड।

प्रार्थी कृषक के हस्ताक्षर----------

पूरा नाम----------

अवर अभियंता(ल0सिं0) की आख्या:-

मैने कृषक के असिंचित कृषि भूमि/स्थल का निरीक्षण कर लिया है। कृषक लघु/सीमान्त/अनु0जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक जाति/सामान्य श्रेणी का कृषक है तथा उक्त निर्मित चेकडैम स्थल पर कृषक की भूमि असिंचित है। इनका प्रार्थना पत्र योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

अवर अभियंता(ल0सिं0)
विकास खण्ड----------

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड---------

स्वीकृतकर्ता अधिकारी

सहायक अभियंता
लघु सिंचाई----------

प्रति हस्ताक्षरित

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई खण्ड,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in